



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या-पं0नि0 30-80/2024 3300
प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।
सेवा में,
जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
सारण।

पटना, दिनांक- 21.8.24

विषय:- प्रखण्ड सोनपुर के ग्राम पंचायत परमानंदपुर के उप मुखिया के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 2004 दिनांक 10.08.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रखण्ड सोनपुर के ग्राम पंचायत परमानंदपुर के उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिनके समीक्षोपरान्त पाया गया कि -

1. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18 (4)(11) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी अध्यपेक्षा ग्राम पंचायत मुखिया को संबोधित कर दिया जाना है, जबकि प्रखण्ड सोनपुर के ग्राम पंचायत परमानंदपुर के उप मुखिया के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव संबंधी अध्यपेक्षा ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत मुखिया को न कर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है।
2. अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित बैठक की सूचना मुखिया द्वारा निर्गत किया गया है जबकि पंचायत सचिव द्वारा निर्गत होना चाहिए। जो नियमानुकूल नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रखण्ड सोनपुर के ग्राम पंचायत परमानंदपुर के उप मुखिया के रिक्त पद पर वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के कारण तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है परंतु आयोग विशेष बैठक की प्रक्रिया के संबंध में तटस्थता एवं अहस्तक्षेप का अभिमत रखता है।

अनुरोध है कि उक्त आलोक में अग्रेतर कारवाई हेतु पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त की जाय।

विश्वासभाजन
21/8/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक पं0नि0 30-80/2024- 3300

पटना, दिनांक - 21.8.24

प्रतिलिपि : आयुक्त, सारण प्रमंडल, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।
19.8.24